पत्रांक–10/नि०वि०–04–18/2024

निबंधित डाक

बिहार सरकार
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय
शिक्षा विभाग, विकास भवन, पटना–15

प्रेषक

सचिन्द्र कुमार,
विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक.....

विषय– **CENTRAL PUBLIC SCHOOL, DAHIWAR, BUXAR को C.B.S.E बोर्ड, नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि **CENTRAL PUBLIC SCHOOL, DAHIWAR, BUXAR** को **C.B.S.E** से संबद्धता हेतु राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के संबंध में उक्त विद्यालय के प्राचार्य/सचिव/विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिये गये शपथ–पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों/कागजातों की समीक्षा विभाग की सक्षम समिति द्वारा की गयी। तद्नुसार विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :–

1. यह विद्यालय **MAA SARSWATI EDUCATIONAL INSTITUTE TRUST** के अधीन संचालित है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा किसी अन्य निबंधित ट्रस्ट/सोसाइटी/कम्पनी के फ्रेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया गया है।

2. सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की नियुक्ति, उनकी योग्यता एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है तथा प्रवृत्त सभी नियमावली का अनुपालन किया जा रहा है।

3. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से शपथ पत्र के माध्यम से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या–238, दिनांक–04.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित एवं अनिवार्य शर्तें स्वीकार है।

अपेक्षित शर्तों के अनुसार:–

(i) शिक्षा के अधिकार अधिनियम को क्रियान्वयन के क्रम में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संसूचित निर्णय के आलोक में विद्यालय में कुल नामांकन क्षमता का 25 प्रतिशत निःशुल्क नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले कमजोर एवं अलाभकारी समूह के बच्चों को किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के० जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से अथवा इस संबंध में समय–समय पर विभाग द्वारा निर्गत पत्र/अनुदेश के तहत नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/के०जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

4. RTE से संबंधित सभी मापदण्डों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। C.B.S.E संबंधित निजी विद्यालयों संबद्धता देते समय इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करायेंगे।

5. शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

6. **बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षी पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु विद्यालय किसी भी समय खुला रहेगा।**

7. **विभागीय अधिसूचना संख्या–238 दिनांक 04.04.2006, राज्य सरकार के द्वारा प्रवृत्त सभी नियमावली एवं सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली में निर्धारित शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में विद्यालय का अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बन्धन रद्द करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को अनुशंसा की जायेगी।**

8. विद्यालय प्रबंधन के द्वारा दिये गये कागजातों के आधार पर सम्यक् विचारोपरांत विभाग स्तर पर गठित समिति द्वारा सर्व सम्मति से इस शर्त पर विद्यालय को अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया कि:–

(क) विद्यालय प्रबंधन के द्वारा वांछित अभिलेख पूर्ण रूप से समर्पित नहीं किये जाने की स्थिति में सभी वांछित अभिलेख केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली को उपलब्ध कराने की जवाबदेही विद्यालय प्रबंधन की होगी।

(ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा विद्यालय का अपने स्तर से स्थल निरीक्षण/भौतिक निरीक्षण करते हुए अर्हता के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे। बोर्ड को यह भी स्पष्ट रूप से सूचित किया जा रहा है कि विभाग द्वारा इन संस्थानों का स्थल निरीक्षण एवं कागजातों की सत्यता की जाँच नहीं करायी गयी है। इस संबंध में विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर ही विभाग द्वारा समीक्षा की गई है। इसमें यदि किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो इसके लिए संबंधित विद्यालय पूर्ण रूपेण जिम्मेवार होंगे तथा नियमानुकूल दंड के हकदार होंगे।

9. उपर्युक्त वर्णित शर्त्तो के आलोक में विभागीय समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार **CENTRAL PUBLIC SCHOOL, DAHIWAR, BUXAR** को सी0 बी0 एस0 ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र इस शर्त्त के साथ प्रदान किया जाता है कि सी0 बी0 एस0 ई0 अपने स्तर से पूर्णतः संतुष्ट होने पर ही विद्यालय की संबद्धता देने पर विचार करेगी।

विश्वासभाजन

ह०/–
(सचिन्द्र कुमार)
विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक :–10/नि०वि०–04–18/2024 .....1003..... पटना, दिनांक 22/04/25

प्रतिलिपिः–जिला शिक्षा पदाधिकारी, BUXAR /प्राचार्य, CENTRAL PUBLIC SCHOOL, DAHIWAR, BUXAR को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेश है कि संबंधित को ई–मेल करना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

22.4

विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)